(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं0 22/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 21 अगस्त 2017

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017– अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विलजेक प्रजाति की फलियों की आयात नीति में संशोधन।

सा० आ०(अ०): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

एक्जिम कोड	मद का विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
07133100	विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विलजेक प्रजाति की फलियां विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विलजेक प्रजाति की फलियां	मुक्त	-	प्रतिबंधित	उडद/मूंग का आयात इस अध्याय की नीतिगत शर्त–3 के अधीन है।

नीतिगत शर्त 3: अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उड़द/मूंग का आयात 3 लाख मी. टन के वार्षिक (राजकोषीय वर्ष) कोटे के अधीन होगा। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौता/समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।

2. **<u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>** एक्जिम कोडः 0713 31 00 के तहत उड़द/मूंग दाल की आयात नीति को 'मुक्त' से संशोधित कर 'प्रतिबंधित' किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं० एम–5012/300/2002–पीसी–2 (ए) से जारी)